16.8.23 - पत्रावली पेश। वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं। खुले न्यायालय में बार-बार जोर-जोर से आवाजें लगाने पर भी वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं। अतः वादी का यह वाद पत्र अदम पैरवी, अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
R.A.S.